[ 2021 ] 11 एस. सी. आर 1

ज्ञान प्रकाश आर्या

बनाम

मेसर्स टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

( 2021 की सिविल अपील संख्या 6876)

22 नवंबर, 2021

[ एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 33-पुरस्कार में संशोधन-दायरा और दायरा-मूल पुरस्कार को विचार करते हुए पारित किया गया

दावेदार द्वारा अपने मूल दावे के अनुसार और किए गए दावे के बयान के अनुसार किया गया दावा-बाद का आवेदन यू / एस. 33

मूल पुरस्कार के संशोधन के लिए-की रखरखाव-आयोजित: केवल अंकगणितीय और/या लिपिकीय त्रुटि के मामले में, पुरस्कार को संशोधित किया जा सकता है और ऐसी त्रुटियों को केवल तुरंत ठीक किया जा सकता है।

मामले में, दावे के बयान में मूल दावेदार द्वारा जो दावा किया गया था, वह दिया गया था-इसलिए, मध्यस्थ द्वारा आदेश

आवेदन यू / एस. 33 एस. के दायरे और दायरे से बाहर था। 33 अधिनियम से।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: मूल पुरस्कार दावेदार द्वारा किए गए दावे पर विचार करते हुए उसके मूल दावे के अनुसार पारित किया गया था।

किए गए दावे का बयान और इसलिए बाद में अनुमति देना

1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन के लिए आवेदन 1996 की धारा 33 के तहत शक्तियों के प्रयोग में मूल पुरस्कार

अधिनियम टिकाऊ नहीं है। तत्काल मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल में कोई अंकगणितीय और/या लिपिकीय त्रुटि थी

मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार। मूल द्वारा क्या दावा किया गया था दावे के बयान में दावेदार को पुरस्कृत किया गया था। इसलिए,

1996 अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर एक आवेदन पर मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश और उसके बाद मूल पुरस्कार को संशोधित करना।

कायम नहीं रखा जा सकता। [ पैरा 12] [7-डी, ई-एफ]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.6876

2021 . 2018 (ए. ए.) के एम. एफ. ए. सं. 7098 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

1 [ 2021 ]

11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुकुमार पटजोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मेसर्स देवसा एंड कंपनी के लिए शेखर जी. देवसा, मनीष तिवारी, शशि भूषण नागर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

साजन पूवय्या, वरिष्ठ अधिवक्ता। , विक्रम हेगड़े, श्रवण आर्य तांद्रा, सुश्री रक्षा अग्रवाल, शांतनु लखोटिया, एन. एस. श्रीराज गौड़ा, शरण बालकृष्ण, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.03.2021 के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

बेंगलुरू में 2018 (ए. ए.) के एम. एफ. ए. No.7098 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद '1996 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 37 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर उक्त अपील को खारिज कर दिया है और 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता मुकदमे (ए. एस. संख्या 12/2011) को खारिज करने और दिनांक 04.12.2010 के मध्यस्थता पुरस्कार की पुष्टि करने वाले 21वें अतिरिक्त शहर नागरिक और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है।

अपील करें। 2. कि अपीलार्थी और प्रतिवादी ने यहाँ 9.7.2003 दिनांकित एक समझौता किया था। शुद्ध सोने की बरामदगी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया, जिसका वजन 3648.80 ग्राम बताया जाता है।

इसमें अपीलार्थी का अधिकार। प्रत्यर्थी ने दिनांकित 9.7.2003 समझौते में निहित मध्यस्थता खंड का आह्वान किया। उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच विवाद का निर्णय लेने के लिए एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। प्रत्यर्थी ने विद्वान मध्यस्थ के समक्ष निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए एक दावा याचिका दायर की:

" क) प्रत्यर्थी को दावेदार को 3648.80 ग्राम वजन का शुद्ध सोना देने का निर्देश देना या वैकल्पिक रूप से प्रत्यर्थी को दावेदार को Rs.27,00,112.00 की राशि का भुगतान करने का निर्देश देना। शुद्ध सोना जिसका वजन 3648.80 ग्राम है (गणना Rs.740 की दर से की जाती है)

प्रति ग्राम);

ख) प्रत्यर्थी को जून 2003 से यह दावा दायर करने की तारीख तक Rs.27,00,112.00 (3648.80 ग्राम वजन वाले शुद्ध सोने का मूल्य) की उक्त राशि पर देय ब्याज राशि के लिए Rs.11,74,545.00 की राशि का भुगतान करने का निर्देश देना और आगे ज्ञान प्रकाश आर्य v.

मेसर्स टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

[ एम. आर. शाह, जे.]

विचाराधीनता के दौरान उक्त राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज

इन कार्यवाहियों का और उसी की प्राप्ति तक;
ग) प्रतिवादी द्वारा किए गए चूक के कारण दावेदार को हुए नुकसान के लिए दावेदार को Rs.26,50,338.00 की राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देना;

और घ) कार्यवाहियों की अधिनिर्णय लागत और ऐसी अन्य और आगे की राहत जो न्याय और समता के हित में हैं।

3. विद्वान मध्यस्थ ने दिनांक 04.12.2010 का एक पुरस्कार पारित किया जिसमें अपीलार्थी को पुरस्कार की तारीख से तीन महीने के भीतर दावेदार/प्रतिवादी को शुद्ध सोने का ग्राम वापस करने का निर्देश दिया गया है।

प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 24.07.2004 से Rs.740 प्रति ग्राम पर सोने के मूल्य की गणना और सोने की मात्रा की डिलीवरी की तारीख तक। विद्वान मध्यस्थ ने यह भी निर्णय पारित किया कि वैकल्पिक रूप से, अपीलकर्ता दावेदार/प्रत्यर्थी को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर शुद्ध सोने के ग्राम के बाजार मूल्य के साथ-साथ 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करेगा, जिसमें सोने के मूल्य की गणना रु। 740 प्रति ग्राम 24.07.2004 से भुगतान की तारीख तक।

4. इसके बाद, प्रतिवादी ने 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत एक आवेदन दायर किया और दिनांक 04.12.2010 के पुरस्कार को संशोधित करने का अनुरोध किया।

रुपये पर "हटा कर कम्प्यूटेशनल/अंकगणितीय/लिपिकीय त्रुटि को ठीक करके। 740 प्रति ग्राम जैसा कि दावा कथन में दावा किया गया है "पृष्ठ 14, दूसरे पैरा, पंक्ति 20 पर और हटाने के लिए" रु। पृष्ठ 17, पैरा 15 (बी), पंक्ति 3 पर "740.00 प्रति ग्राम" और पृष्ठ 17, पैरा 15 (बी), पंक्ति 3 पर "Rs.20,747/- प्रति 10 ग्राम" से प्रतिस्थापित करें। 5. विद्वान मध्यस्थ ने 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत दिनांकित 14.01.2011 आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन की अनुमति दी और दिनांकित 04.12.2010 के मूल पुरस्कार को निम्नानुसार सही किया:

" क) प्रत्यर्थी को आज से तीन महीने के भीतर दावेदार को 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 3 ग्राम शुद्ध सोना वापस करने का निर्देश दिया जाता है। 740.00 प्रति ग्राम 24.07.2004 से और डिलीवरी की तारीख तक उस मात्रा में सोना।

ख) विकल्प में, प्रत्यर्थी दावेदार को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर 3 ग्राम शुद्ध सोने का बाजार मूल्य [Rs.20,747.00 प्रति 10 ग्राम प्रतिस्थापित मूल्य] [2021] 11 एस. सी. आर. का भुगतान करेगा।



उस पर ब्याज के साथ 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 24.07.2004 से और भुगतान की तारीख तक। ग ) प्रत्यर्थी को तीन के भीतर दावेदार को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

आज से महीनों बाद Rs.50,000.00 (केवल पचास हजार रुपये) की राशि संभावित नुकसान के रूप में दावेदार को एक नौकरी कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में समय निर्धारित करने में विफलता के कारण हुई। यदि वह तीन महीने के भीतर उस राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस तारीख से उस पर सालाना 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

पुरस्कार और भुगतान की तारीख तक।

घ) दावेदार लागत का भी हकदार है जिसमें व्यवस्था करने के लिए प्रतिवादी के साथ दावेदार द्वारा साझा किए गए खर्च शामिल होंगे।

मध्यस्थता के लिए स्थान।

ई) अधिवक्ता शुल्क Rs.30,000.00 "

6. इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने यहां एक मध्यस्थता मुकदमा दायर किया

सिटी सिविल कोर्ट के समक्ष 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत। उक्त न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत उक्त मुकदमे को खारिज कर दिया। इसके अलावा, 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अपील को उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

7. उच्च न्यायालय और सिटी सिविल कोर्ट द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना और

8. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुकुमार पटजोशी ने जोरदार तरीके से कहा है कि आदेश पारित कर दिया गया है। विद्वान मध्यस्थ द्वारा 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदन को अनुमति देना और इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त दिनांकित मूल पुरस्कार को संशोधित करना, 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे से बाहर है।

8.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित मूल पुरस्कार में कोई अंकगणितीय और/या लिपिकीय त्रुटि नहीं थी और

विद्वान मध्यस्थ द्वारा जो दिया गया था वह दावेदार द्वारा किए गए मूल दावे के अनुसार था और यहां तक कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा चर्चा भी मूल दावेदार द्वारा गुण-दोष पर चर्चा और अभिलेख पर साक्षय की सराहना के बाद किए गए दावे पर थी।

ज्ञान प्रकाश आर्य बनाम। मेसर्स टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

8.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुरस्कार में केवल एक अंकगणितीय और/या लिपिकीय त्रुटि को ठीक किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदन में, प्रतिवादी-मूल दावेदार पूरी तरह से एक नए दावे के साथ सामने आया जो 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत एक आवेदन में अनुज्ञेय नहीं था।

8.3 इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि सिटी सिविल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने पारित आदेश को बरकरार रखने में भौतिक रूप से गलती की है।

1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर आवेदन को अनुमति देने वाले विद्वान मध्यस्थ और शक्तियों के कथित प्रयोग में पुरस्कार को संशोधित करना।

1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत। 9. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री साजन पूवय्या 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदन को अनुमति देने और पुरस्कार को संशोधित करने वाले विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश का बचाव करने की स्थिति में नहीं हैं।

हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर एक आवेदन पर विद्वान मध्यस्थ द्वारा जो संशोधित किया गया है, वह वैकल्पिक प्रार्थना और विद्वान मध्यस्थ द्वारा दी जा रही राहत के संदर्भ में है। भले ही

मूल अधिनिर्णय जैसा है वैसा ही है, प्रत्यर्थी-दावेदार उस सोने को वापस करने का हकदार होगा जो विद्वान मध्यस्थ द्वारा दावा की गई और दी गई पहली और प्राथमिक राहत थी।

10. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

लंबाई में।

10.1 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्वान मध्यस्थ ने उन्होंने अपने पहले के पुरस्कार दिनांक 04.12.2010 को संशोधित किया। प्रत्यर्थी द्वारा किया गया मूल दावा-मूल दावेदार यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। मूल पुरस्कार को पारित करते समय, विद्वान मध्यस्थ ने निम्नानुसार एक पुरस्कार पारित किया:

" क) प्रत्यर्थी को आज से तीन महीने के भीतर दावेदार को 3 ग्राम शुद्ध सोना वापस करने का निर्देश दिया जाता है।

सोने के मूल्य की गणना करते हुए 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज। 740.00 प्रति ग्राम 24.07.2004 से और डिलीवरी की तारीख तक

उस मात्रा में सोना।

ख) विकल्प में, प्रत्यर्थी दावेदार को तीन महीने की उक्त अवधि के भीतर 3,648.80 ग्राम [2021] 11 एस. सी. आर. का बाजार मूल्य का भुगतान करेगा।



शुद्ध सोने की कीमत रु। 740.00 प्रति ग्राम उस पर ब्याज के साथ 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 24.07.2004 से और भुगतान की तारीख तक।

ग) प्रत्यर्थी को तीन के भीतर दावेदार को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। आज से महीनों बाद Rs.50,000.00 (केवल पचास हजार रुपये) की राशि संभावित नुकसान के रूप में दावेदार को एक नौकरी कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में समय निर्धारित करने में विफलता के कारण हुई। यदि वह तीन महीने के भीतर उस राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उस तारीख से उस पर सालाना 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा।

घ) दावेदार लागत का भी हकदार है जिसमें खर्च शामिल होंगे। व्यवस्था करने के लिए प्रतिवादी के साथ दावेदार द्वारा साझा किया गया

मध्यस्थता के लिए स्थान।

ई) अधिवक्ता शुल्क Rs.30,000.00 "

इस प्रकार, विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित मूल पुरस्कार प्रत्यर्थी-मूल दावेदार द्वारा किए गए मूल दावे के अनुसार था और

दावे के बयान के अनुसार। यहां तक कि, विद्वत मध्यस्थ द्वारा पुरस्कार की तारीख को मूल्य के भुगतान की वैकल्पिक राहत पर एक विशिष्ट निष्कर्ष निकाला गया था। प्रासंगिक चर्चा इस प्रकार है:

" हालाँकि, दावा विवरण के राहत पैरा में इस दर को रु. 740.00 प्रति ग्राम और 3,648.80 ग्राम के मूल्य के रूप में दिखाया गया है।

उनके कारण Rs.27,00,112.00।

दावेदार के वकील ने प्रस्तुत किया कि जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्यान सिंह शोभा सिंह और एक अन्य बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 274 के मामले में वादी की संपत्ति को गलत तरीके से हिरासत में रखने की कार्रवाई में निर्धारित किया गया है, जिसे अन्यथा हिरासत में वादी के लिए निर्णय के रूप में जाना जाता है, संपत्ति की डिलीवरी या हिरासत के लिए इसके मूल्य और हर्जाने के भुगतान के लिए है। प्रत्यर्थी के वकील ने कहा है कि इस मामले में या तो 3 ग्राम शुद्ध सोना (24 ग्राम) वापस करने का आदेश दिया जा सकता है। कैरेट) या वैकल्पिक रूप से पुरस्कार की तारीख को इसके मूल्य का भुगतान। मुझे लगता है कि यह एक उचित और उचित मार्ग है जिसका पालन किया जाना चाहिए। मैं यह भी पाता हूं कि दावेदार को कथित बाजार मूल्य पर उचित ब्याज की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही प्रतिवादी ने खुद दावेदार को सोना वापस कर दिया हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोने का बाजार मूल्य आज की तरह काफी बढ़ गया है, लेकिन इस संबंध में किसी भी विश्वसनीय प्रमाण के अभाव में मैं पाता हूं कि जैसा कि दावे के विवरण में दावा किया गया है, ज्ञान प्रकाश आर्य बनाम के लिए यह न्यायसंगत और उचित है।

मेसर्स टाइटन इंडस्ट्रीज लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.]

शेष सोने के बाजार मूल्य पर Rs.740 प्रति ग्राम पर ब्याज की अनुमति दें जैसा कि दावा विवरण में दावा किया गया है और

दावा विवरण की तारीख से इस राशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज और इस पुरस्कार सं. के तहत दी जाने वाली राहत की संतुष्टि तक। 3 और 3ए का जवाब दिया जाता है तदनुसार "।

11. इसलिए, विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित मूल पुरस्कार दावे के बयान में प्रतिवादी द्वारा किए गए मूल दावे के अनुसार था। इसके बाद, 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत एक आवेदन में, प्रतिवादी ने पुरस्कार के बाजार मूल्य के अनुसार संशोधन करने का अनुरोध किया।

3648.80 शुद्ध सोने का ग्राम Rs.20,747/- प्रति 10 ग्राम पर, Rs.740 प्रति ग्राम के बजाय और विद्वान मध्यस्थ ने 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत उक्त आवेदन की अनुमति दी और मूल पुरस्कार दिनांक 04.12.2010 को संशोधित किया। संशोधित पुरस्कार यहाँ ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है।

12. मूल पुरस्कार दावेदार द्वारा अपने मूल दावे के अनुसार किए गए दावे पर विचार करते हुए और किए गए दावे के बयान के अनुसार पारित किया गया था और इसलिए बाद में 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत मूल पुरस्कार को संशोधित करने के लिए 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदन को अनुमति देना टिकाऊ नहीं है। केवल ए में

अंकगणितीय और/या लिपिकीय त्रुटि के मामले में, पुरस्कार को संशोधित किया जा सकता है और ऐसी त्रुटियों को ही ठीक किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित मूल निर्णय में कोई अंकगणितीय और/या लिपिकीय त्रुटि थी। दावे के बयान में मूल दावेदार द्वारा जो दावा किया गया था, वह दिया गया था। इसलिए, 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत दायर एक आवेदन पर विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश और उसके बाद मूल पुरस्कार में संशोधन को कायम नहीं रखा जा सकता है। 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदन में विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश 1996 के अधिनियम की धारा 33 के दायरे और दायरे से बाहर है। इसलिए, सिटी सिविल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 और 37 के तहत मध्यस्थता मुकदमे/अपील को खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है। 1996 के अधिनियम की धारा 33 के तहत आवेदन की अनुमति देने वाले विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित संशोधित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए और अलग रखा जाना चाहिए।

13. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति है। विवादित निर्णय और आदेश पारित किए गए

1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील में उच्च न्यायालय और 1996 के अधिनियम की धारा 34 और [2021] 11 एस. सी. आर. के तहत मध्यस्थता मुकदमे में सिटी सिविल कोर्ट द्वारा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिनांकित 14.1.2011 द्वारा पारित आदेश, दिनांकित 04.12.2010 के मूल पुरस्कार को संशोधित करते हुए, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है,

नतीजतन, विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिनांकित 04.12.2010 द्वारा पारित मूल पुरस्कार बहाल हो जाता है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल

अपील

की अनुमति दी गई